मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उत्तराखण्ड शासन

प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन
सुलभ कराने हेतु एक नई पहल

ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ग्राम स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। गाँव में निवासरत ग्रामीणों तथा अन्य राज्यों से आये, राज्य के प्रवासियों के लिए सरकार द्वारा स्वरोजगार का उचित अवसर प्रदान किया जा रहा है। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने हेतु राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत 03 व 05 **दुधारू पशुओं के क्रय हेतु 25 प्रतिशत अनुदान** तथा **नगरीय क्षेत्रों में आंचल मिल्क बूथ स्थापना हेतु 20 प्रतिशत अनुदान** पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पलायन पर लगेगी रोक

योजना के मुख्य बिन्दु

- योजना का लाभ दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को प्रदान किया जायेगा।
- वह व्यक्ति जो कि वर्तमान में दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य न हो परन्तु सदस्य बनने हेतु इच्छुक हो, उन्हे भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय किये जायेंगे, ताकि प्रदेश में पशुधन की वृद्धि हो सके।
- 3000 दुग्ध उत्पादकों को कुल 10000 दुधारू पशु उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 500 आंचल मिल्क बूथ स्थापित किये जायेंगे।

योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 01 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक दुग्ध संघ कार्यालय से प्राप्त कर जमा किए जा सकते हैं।

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद के सहायक निदेशक डेरी, प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक दुग्ध संघ अथवा मोबाइल नं. 9412929257, 9012220864 से सम्पर्क कर सकते हैं।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी
www.uttarainformation.gov.in UttarakhandDIPR DIPR_UK

मिल्क बूथ हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र

आवेदन पत्र दिनांक 01 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक दुग्ध संघ कार्यालय/ आँचल डेरी कार्यालय में जमा किये जा सकते है |

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0........

मिल्क बूथ हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र

1. नाम आवेदक श्री / सुश्री / श्रीमती.................................
2. पिता / पति का नाम..
3. लिंग (स्त्री / पुरूष)..आयु.............. आवेदक का नवीनतम
4. आवेदक का पता.. स्वहस्ताक्षरित फोटो

   (क) वर्तमान पता...

   ....

   (ख) स्थायी पता..

   ....
5. दूरभाष लैड लाईन नम्बर ....मोबाइल नंम्बर...............................
6. आवेदक का आधार कार्ड संख्या.......................................(फोटो प्रति संलग्न करें)
7. स्वंय की भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं..
8. यदि स्वंय की भूमि उपलब्ध है तो मिल्क बूथ स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का पूर्ण पताः—

   ....

   ....
9. यदि मिल्क बूथ स्थापना हेतु स्वंय की भूमि उपलब्ध नही है तो भू—स्वामी के साथ कम से कम 05 वर्ष का अनुबन्ध पत्र संलग्न करें।

मुझे ....दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के विक्रय के लिए मिल्क बूथ संचालन हेतु निर्धारित नियम एवं शर्ते पूर्ण रूप से मान्य है तथा मैं इनका नियममित रूप से पालन करूंगॉ / करूंगी। इसके लिए मैं दुग्ध संघ के साथ अनुबन्ध करने का तैयार हूॅ। निर्धारित नियम एवं शर्तो का उल्लंघन करने पर मेरा मिल्क बूथ आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षरः—

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

सहायक विक्रय प्रतिनिधि की टिप्पणी

1. प्रार्थना पत्र प्राप्त करने का दिनांक............................वापसी / जमा दिनांक................
2. क्या प्रस्तावित स्थान पर अनुबन्धित वाहन जा सकता है– (हॉ / नहीं)
3. प्रस्तावित स्थान के पास अन्य ब्राण्ड के बूथ / एजेंसी का विवरणः–

क्र0सं0	ब्राण्ड का नाम	बूथ / एजेंसी संख्या	प्रस्तावित स्थल से दूरी मीटर	प्रतिदिन की औसत बिक्री ली0
1	2	3	4	5

4. मिल्क बूथ आंवटन के बारे में रिपोर्ट...

....

सहायक विक्रय पर्यवेक्षक के हस्ताक्षरः–

मिल्क बूथ / स्वीकृत / अस्वीकृत किया जाता है।

धरोहर धनराशि रूपये..,द्वारा डी0डी0 / चैक नम्बर......................धनराशि........................बैंक का नाम..द्वारा प्राप्त किया।

बूथ संख्या...................................आंवटित करते हुए दिनांक...............................से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की आपूर्ति प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रभारी विपणन

दुग्ध बिक्री केन्द्र (मिल्क बूथ) की स्थापना हेतु नियम एवं शर्तेः—

(निम्न अनुबन्ध 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर सम्पादित होगा)

1. सम्बन्धित दुग्ध संघ स्तर पर गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण करते हुए क्षेत्र में दुग्ध बिक्री केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता सम्बन्धी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायगी।
2. वह भूमि जिस पर दूग्ध बिक्री केन्द्र स्थापित किया जाना है उसका मिल्क बूथ स्थापना हेतु दुग्ध संघ के साथ कम से कम 07 वर्ष का अनुबन्ध किया जायेगा।
3. दूग्ध बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था दुग्ध संघ द्वारा योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त कर की जायगी।
4. ऋण की वापसी हेतु दुग्ध बिक्री केन्द्र का किराया निर्धारित किया जायेगा। दुग्ध बिक्री केन्द्र में स्थापित सम्पत्ति यथा मिल्क बूथ, डीप फ्रिज एवं बिली कूलर आदि का स्वामित्व दुग्ध संघ का होगा। 07 वर्ष की अनुबन्ध अवधि समाप्ति के पश्चात दुग्ध बिक्री केन्द्र आवंटी तथा दुग्ध दुग्ध की आपसी सहमति से स्थापित दुग्ध बिक्री केन्द्र को यथावत रखा जायेगा।
5. दुग्ध बिक्री केन्द्र आंवटी द्वारा प्राप्त दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा।
6. मिल्क बूध में स्थापित डीप फ्रीज एवं वीजी कूलर में यदि कोई खराबी आती है तो उसको आवंटी/संचालक द्वारा ठीक कराया जायेगा।
7. दुग्ध विक्री केन्द्र के विद्युत बिल का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा।
8. ऐसे इच्छुक लाभार्थी जिसके पास भूमि उपलब्ध नहीं है द्वारा दूग्ध बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन करने पर दुग्ध संघ द्वारा योजनान्तर्गत स्थापित किये जाने वाले दुग्ध विक्री केन्द्रों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जोयगा।
9. योजनान्तर्गत स्थापित दुग्ध बिक्री केन्द्र पर ऑचल दूध एवं दुग्ध पदार्थ, बेकरी पदार्थ एवं सामान्य स्नेक्स के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का विक्रय नहीं किया जायेगा साथ ही विभाग द्वारा समय—समय पर सुझाये गये उत्पादों का विक्रय भी बूथ के माध्यम से किया जायेगा।
10. दुग्ध बिक्री केन्द्र पर पान, बीड़ी, सिगरेट आदि तम्बाकू युक्त पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक का विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
11. दुग्ध ब्रिकी केन्द्र को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समय पर खोलना तथा बन्द करना अनिवार्य होगा।
12. दुग्ध बिक्री केन्द्र आंवटी को दुग्ध संघ का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।
13. यदि आंवटी द्वारा शर्तो का उल्लघन किया जाता है तो बूथ का आंवटन निरस्त करने का अधिकार बूथ आंवटनकर्ता के पास सुरक्षित है।

नोटः—दुग्ध बिक्री केन्द्र हेतु धरोहर राशि के रूप में दुग्ध संघ अन्तर्गत पूर्व प्रचलित दरों एवं नियम व शर्तो के अधीन जमा करायी जायेगी तथा यदि दुग्ध संघ उक्त अनुबन्ध में कोई अतिरिक्त शर्त सम्मिलित करना चहता है तो कर सकता है।